

यूनियन बैंक
ऑफ़ इंडिया
अच्छे लोग, अच्छा बैंक



Union Bank
of India
Good people to bank with

असाधारण सामान्य बैठक का नोटिस Notice for Extraordinary General Meeting

मुंबई में
शनिवार, 14 दिसंबर, 2013 प्रातः 10.00 बजे
Saturday, 14th December 2013 at 10.00 a.m.
at Mumbai

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

निवेशक सेवा प्रभाग : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400 021.

Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Investor Services Division: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

विषय सूची

	पृष्ठ क्रमांक
सूचना.....	1
नोट्स.....	3
व्याख्यात्मक विवरण	4
परोक्षी फार्म	11
उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पत्र.....	13

CONTENTS

	Page No.
Notice	6
Notes	8
Explanatory Statement	9
Form of Proxy	12
Attendance Slip & Entry Pass.....	14

नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक शनिवार, दि. **14 दिसंबर, 2013** को प्रातः 10.00 बजे, **रामा वाटुमल आडिटोरियम**, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई - 400020 में निम्नलिखित कारोबार हेतु आयोजित की जाएगी :

1. भारत सरकार(जीओआई) को अधिमानी आबंटन के माध्यम से इक्विटी शेयरों का जारी किया जाना

विचारार्थ और उचित पाये जाने पर आशोधन सहित या बिना आशोधन के एक विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए :

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और **समय-समय पर यथा संशोधित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998** तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/ या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जो इस विषय में अपेक्षित हो, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अध्यक्षीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गई हो और सेबी (पूँजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण समझौते के अध्यक्षीन बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे "बोर्ड" कहा जायेगा, जिसमें कोई समिति, जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई हो/ गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जायेगी) को एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अध्यक्षीन

ए) ₹ 10/ (रुपये दस मात्र) मूल्य के 33512064 (तीन करोड़ पैंतीस लाख बारह हजार चौंसठ), ₹ 149.20 के निर्गम मूल्य पर इक्विटी शेयर ₹ 139.20 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित की दर से सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित करने तथा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 500/- करोड़ (रुपये पाँच सौ करोड़ मात्र) के प्रतिफल के लिये आवंटित करने की अनुमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है।

बी) सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अध्यक्षीन ₹ 10/- (रुपये दस मात्र) मूल्य के 11.10 करोड़ पीएनसीपी (शाश्वत गैर-संचयी अधिमानित शेयर 7439678 (चौहत्तर लाख उन्तालीस हजार छ सौ अठहत्तर), ₹ 149.20 के निर्गम मूल्य पर इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर ₹ 139.20 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित की दर से सृजित, प्रस्तावित, परिवर्तित निर्गमित करने तथा अधिमान आधार पर भारत सरकार को कुल ₹ 111/- करोड़ (रुपये एक सौ ग्यारह करोड़ मात्र) के प्रतिफल के लिये परिवर्तित करने की अनुमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि अधिमानी निर्गम मूल्य के निर्धारण की सुसंगत तिथि **14 नवंबर, 2013** है।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि भारत सरकार/ भारतीय रिजर्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा उनके निर्गम, आवंटन एवं सूचीकरण के समय अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति या मंजूरी प्रदान करने के समय प्रस्ताव में आरोपित या अपेक्षित और बोर्ड द्वारा सहमत किसी आशोधन को स्वीकार करने का अधिकार एवं शक्ति बोर्ड के पास होगी।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले ये इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा लाभांश जारी करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो उसके लिए पात्र होंगे।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बोर्ड वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान हेतु अधिकृत है तथा आगे उसे वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, मामले एवं चीजें करने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों तथा शेयरधारकों की आगे किसी स्वीकृति या सहमति प्राप्त किये बिना जिसे करना उचित या अपेक्षित हो या यह अधिकार प्रदान करें कि इस प्रस्ताव के अधिकार के तहत शेयरधारकों की सहमति प्राप्त हुआ माना जायेगा।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल इसके द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों या ऐसे किसी अधिकारी को, जो उक्त प्रस्ताव को लागू करने के लिए उपयुक्त हो, को प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।

2. पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी किया जाना

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर, संशोधन सहित अथवा बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाय :

संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बैंकिंग अधिनियम) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बँठक) विनियम, 1998 (बैंक विनियम) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के लागू प्रावधान तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2009 (सेवी आईसीडीआर विनियम), विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर किसी व्यक्ति को प्रतिभूतियों का अंतरण और निर्गम) विनियम 2000 तथा भारत सरकार (जीओआई), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/ या अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों और स्पष्टीकरणों और लागू होनी वाले अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों (उस समय लागू उनके किसी संशोधन या पुनः विधायन) के अधीन बैंक के इक्विटी शेयर जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं उनके साथ हुए सूचीयन करार, सेबी और/या केंद्र सरकार के लागू और अपेक्षित किसी अनुमोदन स्वीकृति, अनुमति या मंजूरी, भारत के अंदर या बाहर किसी अन्य प्राधिकारी के अपेक्षित अनुमोदन, स्वीकृति, अनुमति या मंजूरी और उनमें से किसी के द्वारा इस प्रकार के अनुमोदन स्वीकृति, अनुमति या मंजूरी प्रदान करते समय निर्धारित निबंधनों, शर्तों और आशोधनों और जिनसे बैंक के निदेशक बोर्ड (इसे आगे बोर्ड कहा जायगा जिस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति भी शामिल होगी) सहमत हो, के अधीन बैंक के बोर्ड को एतद्वारा आईसीडीआर विनियम के अध्याय VII के अंतर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से, भले ही उनके पास बैंक के शेयर हों अथवा नहीं, लागू कानूनों और विनियमों के अंतर्गत अनुमत और बैंक के बोर्ड द्वारा स्वविवेक से निश्चित, तत्समय या तत्समयों पर कुल मिला कर ₹ 1386 करोड़ (रुपये एक हजार तीन सौ छियासी केवल) के, बोर्ड द्वारा अपने विवेक से उपयुक्त समझे गये प्रीमियम सहित मूल्य या मूल्यों और शर्तों और निबंधनों पर उस संख्या में शेयर सृजित, प्रस्ताव, निर्गमित और आवंटित करने की स्वीकृति है और प्रदान की जाती है. बैंक स्व विवेक से इस प्रकार के निर्गम, प्रस्ताव और आवंटन के समय बाजार की स्थिति और अन्य कारकों को देखते हुए तथा आवश्यकतानुसार अग्रणी प्रबंधकों(ों) और/या हामीदार(ों) और/या परामर्शदाता(ओं) से परामर्श करके अपने विवेक से जैसा उचित या उपयुक्त समझे निवेशकों की अन्य श्रेणियों को छोड़ते हुए निवेशकों की कुछ श्रेणियों को इन शेयरों का प्रस्ताव, निर्गम और आवंटन कर सकता है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गमित होने वाले ये इक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा लाभांश जारी करने के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार कोई लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, तो उसके लिए पात्र होंगे.

यह भी संकल्प किया जाता है कि

(क) इक्विटी शेयर या किसी अन्य प्रतिभूति का मूल्य तय करने की सुसंगत तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को बोर्ड इक्विटी शेयरों का प्रस्तावित निर्गम खुलना निश्चित करे या वह कोई अन्य समय होगा जो समय समय पर आईसीडीआर विनियमों में अनुमत हो.

(ख) इक्विटी शेयरों का आवंटन प्रस्तावित निर्गम को अनुमोदित करने वाले इस संकल्प की तिथि से 12 माह या आईसीडीआर विनियमों में समय-समय पर अनुमत समय के अंदर किया जायगा.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से बोर्ड वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान हेतु अधिकृत है तथा आगे उसे वे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, मामले एवं चीजें करने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन कार्यों को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने, जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों तथा शेयरधारकों की आगे किसी स्वीकृति या सहमति प्राप्त किये बिना जिसे करना उचित या अपेक्षित हो या यह अधिकार प्रदान करे कि इस प्रस्ताव के अधिकार के तहत शेयरधारकों की सहमति प्राप्त हुआ माना जायेगा.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इस इक्विटी शेयर प्रस्ताव की प्रक्रिया में में शामिल किये जाने वाले संबंध रखने वाले अग्रणी प्रबंधकों, विधि परामर्शदाताओं, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों और इसी प्रकार की अन्य एजेंसियों को नियुक्त करने/रखने के लिये और उनको कमीशन, दलाली, शुल्क या इसी प्रकार से अन्य रूप में पारिश्रमिक देने और ऐसी अन्य एजेंसियों से व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि में पक्षकार बनने और निष्पादित करने और जिन शेयर बाजारों में बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं उनमें इनको सूचीबद्ध कराने के लिये प्राधिकृत है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को कार्यान्वित करने के लिये बोर्ड एतद्वारा निदेशकों की एक समिति बनाने या अपने सभी या किस शक्ति को किसी निदेशक/किन्ही निदेशकों को या निदेशकों की समिति/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशकों/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित करने के लिये प्राधिकृत है और इक्विटी शेयरों के निर्गम और आवंटन के संबंध में निम्नलिखित कार्यों सहित उचित और उपयुक्त समझे जाने वाले सभी कदम उठाने और सभी काम, कृत्य, मामले और बात करने और कोई संशोधन या परिवर्तन स्वीकार करने और किसी सवाल या समस्या के समाधान के लिये किसी प्रकार के निदेश देने के लिये प्राधिकृत है और प्राधिकृत किया जाता है :

- (क) मसौदा/अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज के अनुमोदन और उसे आवश्यकतानुसार किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करने;
- (ख) इक्विटी शेयरों के निर्गम मूल्य, आवंटित किये जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या, आवंटन के आधार और उनके आवंटन को अनुमोदन करने;
- (ग) इक्विटी शेयरों के निर्गम से संबंधित अपेक्षित या वांछनीय सभी संवदाओं, करारों और अन्य दस्तावेजों, विलेखों और लिखतों के निष्पादन और सुपुर्दगी की व्यवस्था करने;
- (घ) प्रस्ताव के लिये आवश्यक बैंक खाता खोलने;
- (ङ) इस संव्यवहार के लिये बैंक के विवेक से आवश्यक या वांछनीय सभी कार्य, कृत्य विषय या वस्तु करने और ऐसे अन्य दस्तावेज निष्पादित करने तथा सभी शुल्कों का भुगतान करने;
- (च) उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष सभी आवश्यक आवेदन करने और इस संबंध में सभी आवश्यक नियामक विवरण दाखिल करने;
- (छ) जिन स्टाक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उनमें इक्विटी शेयरों की सूचीबद्धता के लिये आवेदन करने

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

डी. सरकार

(डी.सरकार)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: मुंबई

दिनांक : 16.11.2013

नोट्स:

1. बैठक के कार्यकलाप के संबंध में सारवान तथ्य सूचित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है:
2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी भी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो. परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए परोक्षी फॉर्म बैंक के शेयर अनुभाग में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, 09 दिसंबर, 2013 को बैंक की कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व अवश्य प्राप्त होना चाहिए. कृपया नोट करें विनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगमित निकाय, जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें यह पारित किया गया था, सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया हो, को बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् सोमवार, 09 दिसंबर, 2013 को बैंक की कार्य समाप्ति पर या उसके पूर्व अवश्य जमा किया जाना चाहिए. यदि प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा परोक्षी फार्म, यदि कोई है, निष्पादित किया गया हो तो प्रभावी होगा; बशर्ते कि उसे उक्त दस्तावेज सहित उपर्युक्त पते पर सोमवार 09 दिसंबर, 2013 को बैंक के कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व जमा कर दिया जाए.

कृपया नोट करें कि विनियम के प्रावधानों के अनुसार बैंक का कोई कर्मचारी या अधिकारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.

4. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है. शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र को भरकर इसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर सौंप दें. शेयरधारक के परोक्षी या प्रतिनिधि द्वारा उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र पर "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए.

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्र 1

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम, 2009 के अधीन अपेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

ए) अधिमानी निर्गम के उद्देश्य

बासेल मानदंडों के अनुरूप बैंक के सीआरएआर के स्तर को और सुदृढ़ करने के लिये बैंक द्वारा इक्विटी फंड को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 अक्टूबर, 2013 के द्वारा उसके पक्ष में इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन के माध्यम से ₹ 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़ रुपये) का निवेश प्रस्तावित है। भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमानी शेयरों के आवंटन के बाद 31 मार्च 2014 को बैंक का टियर I सीआरएआर और कुल सीआरएआर क्रमशः 7.61 % और 9.92 % होगा। कोर इक्विटी टियर I पूँजी को और सुदृढ़ करने के लिए ₹ 111 करोड़ पीएनसीपी को इक्विटी में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार से अनुमति भी मांगी गयी है प्रस्तावित ₹ 611 करोड़ की जुटायी गयी पूँजी का उपयोग पूँजी पर्याप्तता सुधारने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया जायगा।

बी) ₹ 611 करोड़ (₹ 500 करोड़ का नया निवेश और ₹ 111 करोड़ पीएनसीपी का इक्विटी में परिवर्तन) का यह संपूर्ण अधिमानी निर्गम भारत सरकार-द्वारा अभिदत्त किया जाएगा। निर्गम मूल्य का निर्धारण सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(1) के अनुसार किया जाएगा। निर्गम मूल्य हेतु सुसंगत तिथि 14 नवंबर, 2013 को ध्यान में रखते हुए निर्धारित निर्गम मूल्य लगभग ₹ 149.20 है।

सी) निर्गम से पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता का पैटर्न

क्र.	संवर्ग	निर्गम से पूर्व (यथा 8 नवंबर, 2013)		निर्गम के उपरांत	
		धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का प्रतिशत
ए.	प्रवर्तक की धारिता				
1	प्रवर्तक				
	भारत सरकार	345459689	57.89	386411431	60.59
	विदेशी प्रवर्तक				
2	समूह के रूप में कार्यरत व्यक्ति				
	उप जोड़	345459689	57.89	386411431	60.59
बी.	गैर-प्रवर्तक धारिता				
3	संस्थागत निवेशक				
ए	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	34772551	5.83	251334520	39.41
बी	बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां (केंद्र/ राज्य सरकार संस्थाएं/ गैर-सरकारी संस्थाएं)	70353530	11.79		
सी	विदेशी संस्थागत निवेशक	61485994	10.30		
	उप जोड़	166612075	27.92		
4	अन्य				
ए	निजी कार्पोरेट निकाय	28459236	4.77		
बी	भारत की जनता	55604898	9.32		
सी	एनआरआई/ ओसीबी	658311	0.11		
डी	अन्य कोई				
	उप जोड़	84722445	14.20		
	कुल योग	596794209	100.00	637745951	100.00

डी. बैंक का प्रयास इस निर्गम को सेबी आईसीडीआर द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा करने का है।

ई. चूंकि यह संपूर्ण निर्गम बैंक के बहुलांश शेयरधारक तथा प्रवर्तक भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, अतःनियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा.

एफ. भारत सरकार की निर्गम-पूर्व एवं निर्गम के उपरांत शेयरधारिता निम्नवत होगी:

	भारत सरकार	
	शेयरों की संख्या	पूंजी में प्रतिशत
निर्गम-पूर्व	34,54,59,689	57.89%
निर्गम के उपरांत	38,64,11,431	60.59%

जी. बैंक के इक्विटी शेयर छह महीने से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं तथा तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमावली के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान तथा सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 73(1) (एफ) एवं (जी) के अधीन प्रकटन के प्रावधान लागू नहीं हैं.

एच. भारत सरकार को निर्गमित एवं आवंटित किये जाने वाले सभी शेयर आवंटन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक लॉक-इन होंगे.

आई. केंद्र सरकार के अधिमानी पूर्व समस्त शेयर, इक्विटी शेयरों के आवंटन की तारीख की सुसंगत तारीख से छः माह तक अवरुद्ध (लॉक इन) रहेंगे.

जे. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रमाणपत्र जो यह प्रमाणित करता है कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार है, असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा.

के. भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर डिमैट फार्म में हैं तथा बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ हुए सूचीबद्ध करार के अनुसार जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उनमें अपने शेयरों को सतत सूचीबद्ध रखने संबंधी शर्तों का पालन कर रहा है.

एल. सुसंगत तिथि से पूर्व के छह माह के दौरान भारत सरकार द्वारा बैंक का कोई इक्विटी शेयर नहीं बेचा गया है.

एम. भारत में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूची बद्ध हैं, के साथ बैंक द्वारा निष्पादित सूचीबद्ध करने संबंधी क्लोज 23 में अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान है कि जब आगे शेयरों के आबंटन के द्वारा बैंक की निर्गमित पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है तो ऐसे शेयरों के लिए सबसे पहले बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को अभिदान के लिए प्रस्ताव किया जाएगा जब तक कि वे सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के माध्यम से इसके विपरीत निर्णय न लें. चूंकि बैंक के विद्यमान शेयरधारकों आनुपातिक आधार के अतिरिक्त पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर आबंटित करने का प्रस्ताव है, उक्त संकल्प पारित किया जाना आवश्यक है. आगे, सेबी आईसीडीआर विनियमावली, 2009 के विनियम 72 के अंतर्गत भी यह आवश्यक है.

एन. बैंक द्वारा आवश्यक होने पर सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य की पुनर्गणना करने का भी संकल्प लिया जाता है.

- बैंक द्वारा यह भी संकल्प लिया जाता है कि यदि पुनर्गणना के कारण देय मूल्य इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित समय में अदा नहीं किया जाता है तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ आबंटिती द्वारा रकम अदा किए जाने तक लॉक रहेंगी.

आपके निदेशक इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

इस बैठक के एजेंडा में बैंक के किसी निदेशक का हित या संबंध नहीं है.

मद क्र 2

क) पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के उद्देश्य

बैंक के भावी विस्तार के लिये धन की व्यवस्था और संसाधनों की वृद्धि के लिये, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिये लगातार पूंजी बढ़ाना आवश्यक है. बैंक पात्र संस्थागत क्रेताओं को पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से शेयर जारी करने पर विचार कर रहा है. यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार किया जायगा,

पात्र संस्थागत क्रेताओं से पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से ₹ 1386 करोड़ (एक हजार तीन सौ छियासी करोड़ रुपये) तक जुटाने का प्रस्ताव है. तदनुसार, बैंक द्वारा पात्र संस्थागत प्लेसमेंट से पात्र संस्थागत क्रेताओं को शेयर जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह निर्गम सेबी आईसीडीआर विनियमावली के अनुरूप किया जाएगा.

पात्र संस्थागत प्लेसमेंट से पात्र संस्थागत क्रेताओं के माध्यम से ₹ 1,386 करोड़ (रु.एक हजार तीन सौ छियासी करोड़) एकत्र किए जाने का प्रस्ताव है. इस संकल्प से निदेशक मण्डल को संकल्प पारित किए जाने से एक वर्ष के भीतर ऐसे समय में तथा ऐसी स्थितियों में पूंजी बढ़ाने की सुविधा मिल जाएगी जो बैंक के हित में होगा. बढ़ाई गयी पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता को सुधारने तथा बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा.

इक्विटी शेयरों के जारी करने की विस्तृत शर्त और निबंधन उनके जारी करने समय मर्चेट बैंकरों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और अन्य उन प्राधिकारियों के परामर्श से तय किये जायेंगे जिनके परामर्श को उस समय बाजार की हालत और अन्य सुसंगत कारकों को देखते हुए बैंक आवश्यक समझे. यह विशेष संकल्प सभी इक्विटी शेयर एक साथ या अलग-अलग हिस्सों में एक ही समय पर या अलग-अलग समय में एक मूल्य पर या अलग-अलग मूल्य पर और उसमें उल्लिखित निवेशकों को, स्वविवेक से उचित समझे अनुसार जारी करने के अधिकार बोर्ड को प्रदान करने के लिये है.

आपके निदेशक इस एजेंडा की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं.

इस बैठक के एजेंडा में बैंक के किसी निदेशक का हित या संबंध नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

डी. सरकार

(डी.सरकार)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई

दिनांक : 16.11.2013

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India will be held on Saturday, 14th December, 2013, at 10.00 a.m. at **Rama Watumull Auditorium**, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate, Mumbai – 400 020 to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GoI)

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include a Committee which the Board may have constituted/may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to

- create, offer, issue and allot up to 33512064 (Three crores thirty five lacs twelve thousand sixty four only) equity shares of ₹10/- each (Rupees Ten only) for cash at an Issue Price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating up to ₹ 500/- Crore (Rupees Five Hundred Crore only); and
- create, offer, issue and allot by conversion of 11.10 crore PNCPS (Perpetual Non-cumulative Preferential Shares) of ₹ 10 each into 7439678 (Seventy four lacs thirty nine thousand six hundred seventy eight) equity shares of ₹ 10/- each at an conversion price of ₹ 149.20 including premium of ₹ 139.20 determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating upto ₹ 111 Crore (Rupees One Hundred and Eleven Crore Only) on preferential basis to Government of India.

“RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Preferential Issue Price is **14th November 2013.**”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or anyone of the Executive Director or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

2. Issue of Equity Shares through Qualified Institutional Placement

To consider and if thought fit, to pass with or without modification, the following resolution as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (“the Act”), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), Union Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank’s Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (“FEMA”), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (“SEBI ICDR Regulations”), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India (“GOI”), Reserve Bank of India (“RBI”), Securities and Exchange Board of India (“SEBI”) and/or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/ or Central Government and/ or RBI as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board” which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹ 1,386 Crore (Rupees One Thousand Three Hundred and Eighty Six Only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said Equity Shares to be issued shall rank *pari passu* with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend, if any, declared in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT

- (a) the relevant date for determination of price of Equity Shares or such other securities, shall be the date of the meeting at which the Board decides to open the proposed issue of Equity Shares, or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time;
- (b) the allotment of Equity Shares shall be completed within 12 months from the date of this Resolution approving the proposed issue or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution”.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint the Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of such Equity Shares on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors or delegate all or any of its powers to any Director(s) or Committee of Directors/ Chairman and Managing Director / Executive Directors / Company Secretary/other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

- (a) Approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;
- (b) Approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Share;
- (c) Arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;
- (d) Opening such bank accounts as may be required for the offering;
- (e) To do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;
- (f) To make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;
- (g) Making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors



(D. Sarkar)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai
Date: 16.11.2013

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.
2. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Investor Services Division, not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Monday, 09th December 2013. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of the Regulations as amended from time to time.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVES**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Monday, 09th December, 2013. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Monday, 09th December, 2013 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of the Regulations as amended from time to time.

4. **ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be.

Explanatory Statement

Item No.1

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

a) Objects of the Preferential Issue

In order to further strengthen the CRAR of the Bank under Basel III norms, the Bank is contemplating to raise its equity funds.

The Govt. of India vide their letter dated October 22, 2013 proposes to infuse up to ₹ 500 crore (Rupees Five Hundred Crore Only) by way of preferential allotment of Equity in favour of the Govt. of India. Subsequent to the preferential allotment of Equity shares, the Bank is likely to attain 7.61 % Tier I CRAR and total CRAR of 9.92 % as on 31st March 2014. Further permission of Govt. has also been sought to convert ₹ 111 crore PNCPS to equity for further strengthening the Core Equity Tier I Capital. The entire proposed equity capital of ₹ 611 crore would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) This entire preferential issue of Rs.611 crore (Rs.500 crore by fresh infusion and Rs.111 crore by conversion of PNCPS to equity) will be subscribed by Government of India.

The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is around ₹ 149.20 considering that the Relevant Date for ascertaining the Issue Price is November 14, 2013.

c) Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl. No.	Category	Before the Issue (As on 8 th November' 13)		After the issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No. of shares to be allotted	Percentage of shareholding
A.	Promoter's Holding				
1	Promoters				
	Government of India	345459689	57.89	386411431	60.59
	Foreign Promoters				
2	Persons acting in concert				
	Sub Total	345459689	57.89	386411431	60.59
B.	Non –Promoter Holding				
3	Institutional Investors				
a	Mutual Funds and UTI	34772551	5.83		
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/State Govt. Institutions/ Non-government Institutions)	70353530	11.79		
c	FII's	61485994	10.30		
	Sub Total	166612075	27.92	251334520	39.41
4	Others				
a	Private Corporate Bodies	28459236	4.77		
b	Indian Public	55604898	9.32		
c	NRIs/OCBs	658311	0.11		
d	Any Others				
	Sub Total	84722445	14.20		
	Grand Total	596794209	100.00	637745951	100.00

- d. The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.
- e. As the entire preferential issue is proposed to be made to Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.
- f. The Pre and Post issue shareholding of the Government of India in respect of allotment of shares on preferential basis would be as under:

	Government of India	
	No. of Shares	Percentage to capital
Pre- issue	345459689	57.89
Post -issue	386411431	60.59

- g. The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.
- h. All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of trading approval.
- i. The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the stock exchange.
- j. The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.
- k. All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.
- l. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.
- m. Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide *inter-alia* that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution. As it is proposed to allot fully paid up Equity Shares other than pro rata to the existing shareholders of the Bank, the above resolution is required to be passed. Further, it is also required under Regulation 72 of the SEBI-ICDR Regulations 2009.
- n. The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do.
- o. The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottee.

Your Directors recommend passing of the special resolutions mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

Item No.2

a) Objects of the Qualified Institutional Placement

To augment resources and fund future expansion of the Bank, continuous capital is required to be infused. Accordingly, the Bank is contemplating issue of shares by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers. The issue would be made in accordance with the provisions of SEBI ICDR Regulations.

It is proposed to raise upto ₹ 1,386 crore (Rupees One Thousand Three Hundred and Eighty Six Crore only) by way of Qualified Institutional Placement to Qualified Institutional Buyers. The Resolution enables the Board to raise capital within a period of one year from passing of this Resolution at such time (s) and in such tranche (s) that would be in the interest of the Bank. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

Your Directors recommend passing of the Special Resolution as mentioned in the notice for this agenda.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in this agenda of the meeting.

By order of the Board



(D. Sarkar)

Chairman & Managing Director

Place: Mumbai

Date: 16.11.2013

प्रधान कार्यालय: 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाये)

पंजीकृत फोलियो सं.

(यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)

डी.पी.आई.डी एवं ग्राहक आईडी क्र.

(यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)

मैं / हम _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ शेयरधारक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के शेयरधारक एतद्वारा
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ अथवा उनके न होने पर
श्री/श्रीमती _____ निवासी _____
जिला _____ राज्य _____ को **शनिवार दिनांक 14 दिसंबर, 2013** को
प्रातः 10.00 बजे या उसके स्थगित होने पर होने वाली **रामा वाटुमल ऑडिटोरियम, के.सी. कॉलेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400020** में यूनियन
बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में मेरी/ हमारी ओर से वोट देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता/ करती हूँ,
दिनांक _____, 2013 को हस्ताक्षरित

कुपया
रसीदी
टिकट
लगाएं

परोक्षी का हस्ताक्षर

प्रथम शेयरधारक/एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम : _____

पता : _____

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और जमा करने संबंधी अनुदेश

- परोक्षी का लिखत तभी वैध माना जाएगा जब कि वह ;
ए) एकल शेयरधारक व्यक्ति के मामले में यह उसके द्वारा/उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
बी) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो.
सी) निगमित निकाय के मामले में इसके अधिकारी या अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत् प्राधिकृत व लिखित में हो. यह नोट किया जाए कि उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने / उसे परोक्षी नियुक्त करने का अधिकार देने के संकल्प की प्रति, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, संलग्न की जानी चाहिए.
- परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हो और उसके अंगूठे का निशान लगा हो तो वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार ऑफ एग्योरेंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्षात्कृत होना चाहिए.
- परोक्षी निम्नलिखित के साथ
ए) पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है, अथवा
बी) उस पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, असाधारण सामान्य बैठक के चार दिन पूर्व यथा सोमवार 9 दिसम्बर 2013 को कार्य समाप्ति पर या उससे पूर्व निवेशक सेवाएं प्रभाग, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 में जमा कर देनी चाहिए.
- परोक्षी का कोई भी लिखत विनियम के फार्म बी में न होने और विधिवत् स्टैम्ड न होने पर वैध नहीं होगा.
- बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा.
- यदि परोक्षी लिखत वैकल्पिक रूप से दो व्यक्तियों के लिए हो तो एक से अधिक फार्म निष्पादित न किया जाए.
- परोक्षी के लिखत को निष्पादित करनेवाला शेयरधारक इस लिखत से संबंधित असाधारण सामान्य बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.

Head Office: 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

PROXY FORM (FORM 'B')
 (to be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio
(If not dematerialised)

DP ID & Client ID
(If dematerialised)

I/We _____ resident(s)
 of _____ in the district of _____ in the
 state of _____ being a shareholder /shareholder(s) of Union Bank of India, Mumbai
 hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in
 the district of _____ in the state of _____ or failing him / her,
 Shri/ Smt. _____ resident of _____ in the
 district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to vote
 for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Union Bank of India to be held on
 Saturday, 14th December, 2013 at 10.00 a.m. at **Rama Watumull Auditorium, K. C. College, Dinshaw Wacha Road, Churchgate,
 Mumbai – 400 020** and at any adjournment thereof

Signed this _____ day of _____ 2013.

Please
Affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Signature of First named/Sole Shareholder

Name : _____

Address : _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless
 - a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Union Bank of India.
3. The proxy together with
 - a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of Union Bank of India with the Investor Services Division, Union Bank of India, 239, Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai – 400 021 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Monday, 09th December, 2013.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form "B" of the Regulation
5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Union Bank of India.

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

उपस्थिति पर्ची

(निहित स्थान पर प्रवेश करते समय सौंपी जाए)

मैं एतद्वारा बैंक की असाधारण सामान्य बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता / करती हूँ :

दिनांक : शनिवार, 14 दिसंबर, 2013.

समय : प्रातः 10.00 बजे

स्थान : रामा वाटुमल ऑडिरोरियम, के.सी. कालेज, दिनशा वाच्छा रोड, चर्चगेट, मुंबई 400-020.

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	डीपी आईडी क्लायंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.

प्रवेश पत्र

(संपूर्ण बैठक के दौरान साथ रखा जाय)

शेयरधारक का हस्ताक्षर / उपस्थित परोक्षी / प्रतिनिधि का हस्ताक्षर	
पंजीकृत फोलियो (यदि डिमैटिरियलाइज न किया गया हो)	डीपी आईडी क्लायंट आईडी (यदि डिमैटिरियलाइज किया गया हो)
शेयरधारक का नाम	
शेयरों की संख्या	

शेयरधारकों / शेयरधारकों के परोक्षी अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक के स्थान पर प्रवेश हेतु बैंक के पास दर्ज उनके नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें. तथापि प्रवेश आवश्यकतानुरूप सत्यापन / जांच के अध्वधीन होगा. किसी भी परिस्थिति में बैठक के प्रवेश द्वार पर डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

I hereby record my presence at the Extraordinary General Meeting of the Bank.

Date: Saturday, 14th December, 2013.

Time: 10.00 a.m.

Place: **RAMA WATUMULL AUDITORIUM**, K. C. COLLEGE, DINSHAW WACHA ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI – 400 020.

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present		
Regd. Folio (If not dematerialised)	DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present		
Regd. Folio (If not dematerialised)	DP ID & Client ID (If dematerialised)	
Name of the Shareholder		
Number of Shares		

Shareholders / proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.